(154)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री के0सी0 जैन
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1652—चार/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 07—10—2008 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1159/अपील/2006—07

.....

चन्द्रमणि प्रसाद तनय सरयू प्रसाद गोस्वामी
निवासी—ग्राम कोटर, थाना कोलगवां, तहसील रामपुर
जिला—सतना(म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— रामेश्वर प्रसाद गोस्वामी तनय सरयू प्रसाद गोस्वामी
2— श्रीमती ललिता गिरि पुत्री राम गिरि गोस्वामी पत्नी रामेश्वर प्रसाद गोस्वामी
3— देवराज
4— हेमराज
5— रामराज, पुत्रगण रामेश्वर प्रसाद गोस्वामी
निवासीगण— ग्राम कोटर थाना कोलगंवा,
तहसील रामपुर बघेलना, जिला—सतना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 26/09/2016 को पारित)

यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 1159/अपील/2006—07 में पारित आदेश दिनांक 07—10—2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आवेदक के द्वारा आवेदक के द्वारा विचारण न्यायालय में विवादित आराजी का बटवारा किये जाने हेतु संहिता की धारा 109/110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जहां पर विचारण पश्चात् तहसीलदार ने दिनांक 29.03.07 को बटवारा नामांतरण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ अपील पेश की गई । जहां अपील को निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त न्यायालय में विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 07–10–2008 द्वारा द्वितीय अपील निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमियां आवेदक एवं अनावेदक क्र0 1 की पैत्रिक भूमियां है, जिनमें आवेदक एवं अनावेदक क्र0 1 का समान हक व हिस्सा था व है । ऐसी स्थिति में अनावेदक के नाम से 22.27ए0 भूमि नामांतरित हो जाने से आवेदक के स्वत्व स्वामित्व में कोई भी कुप्रभाव पड़ना नहीं माना जा सकता, क्योंकि शासकीय सुविधाओं का लाभ लेने के लिये अनावेदक क्र0 1 के हक में उसके पिता व चाचा ने वह नामांतरण उस समय कराया था, जिस समय आवेदक नाबालिग था व अनावेदक क्र0 1 जो आवेदक का बड़ा भाई है मात्र बालिग था । अनावेदक क्र0 1 का नाम खतौनी वर्ष 1958–59 में इन्द्राज होने से जो निष्कर्ष आवेदक के विरूद्ध निकाला है, वह सर्वथा गलत है, क्योंकि अनावेदक के नाम जो भूमि खतौनी वर्ष्स 1958–59 में इन्द्राज है, वह संयुक्त परिवार की ही भूमि थी, जो शासकीय सुविधाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से दिनांक 22.02.59 को अनावेदक क्र0 1 के नाम नामांतरित कराई गई थी व उस समय विन्ध्य प्रदेश कानून माल लागू था, जिसकी धारा 163 के अनुसार खाता का बटवारा सह भूमिस्वामी करा सकता था व दिनांक 02.10.59 से मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के प्रभावशील हो जाने से उसकी धारा 178 बंटवारा बावत् स्पष्ट प्रावधानित करती है । ऐसी स्थिति में विवादित भूमियां अनावेदक क्र0 1 के नाम शासकीय सुविधाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से कराई गई थी। लेकि उसमें हिस्सा आवेदक एवं अनावेदक क्र0 1 का बराबर था, जिसे स्वतः अनावेदक ने लेख दिनांक 24.05.78 में स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में आवेदक को उसका बटवारा कराने का पूरा हक व अधिकार था । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि पक्षकारों के मध्य विवाद पूर्व से है, जबकि यह बात सर्वथा गलत एवं प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। प्रकरण में प्रस्तुत लेख

दिनांक 24.05.78 से स्पष्ट है कि अनावेदक क्र0 1 ने अपने नाम की भूमि में आवेदक को 1/2 हिस्सा होना स्वीकार कर स्वयं उस लेख को लिखा है व बयान में भी स्वीकार किया है। जिस स्वीकारोक्ति से अनावेदक विवंधित है वह उसके विरूद्ध विवन्ध का सिद्धांत लागू होता है। जिस दीवानी दावा का उल्लेख अपने आदेश में किया है वह दावा गुण–दोष पर निर्णीत नहीं हुआ बल्कि तलवाना अदा न करने से तकनीकि त्रुटि पर निरस्त हुआ था जिसका उल्लेख आवेदन पत्र में होने से इस प्रकरण में उसका कुप्रभाव नहीं माना जा सका । अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 459/2005 में पारित आदेश व निर्देश दिनांक 01.04.2005 को देखा व पढ़ा ही नहीं और विधि के विपरीत आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है । परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परिशीलन किया गया जिसमें पाया कि विवादित भूमियों का पूर्व में बटवारा हो चुका है । इस तथ्य की पुष्टि आवेदक के साक्षियों ने अपने साक्ष्य के दौरान की । जब पूर्व में बटवारा हो चुका है तब दुबारा बटवारा की कार्यवाही नहीं की जा सकती । इस संबंध आवेदक ने विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 109–110 के अंतर्गत आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर उक्त धारा के तहत कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है । यद्यपि **संहिता की धारा 109 अधिकारों के अर्जन की रिर्पोट की जायेगी–**" 1–कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में कोई अधिकार या हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किये जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छः माह के भीतर पटवारी को मौखिक रूप से या लिखित में करेगा, और पटवारी ऐसी रिर्पोट के लिये लिखित अभिस्वीकृति रिर्पोट करने वाले व्यक्ति को विहित प्ररूप में तत्काल देगाः–

परन्तु जब अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति अव्यस्यक हो या अन्यथा निरर्हित हो, जो उसका संरक्षक या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो उसकी संपत्ति का भारसाध हो, पटवारी को ऐसी रिपोर्ट करेंगा" । 2–"कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कि उपधारा(1) में निर्दिष्ट किया गया है, अपने द्वारा ऐसे अधिकारों के अर्जन की लिखित रिपोर्ट, ऐसे अर्जन की तारीख के छः माह के भीतर, तहसीलदार को भी कर सकेगा। "

1. हेमदत्त विरूद्ध म0प्र0 राज्य, 1968 राज.नि. 455 (उच्च न्यायालय)
2. अहमदबक्स वि0 रामभरोसे, 1967 रा.नि. 484
3. शाहजहॉबाई वि0 भूपेन्द्रकुमार, 1977 रा.नि. 257

उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू होते है ।

संहिता की धारा 110– क्षेत्र–पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में अधिकार अर्जन बावत नामांतरण– "1– पटवारी अधिाकर के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गई हो या ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त प्रज्ञापना पर से उसकी जानकारी में आये, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के लिये विहित किया गया है ।

2– पटवारी अधिकार अर्जन संबंधी समस्त ऐसी रिपोर्ट, जो उपधारा(1) के अधीन उसे प्राप्त हुई, उन रिपोर्टों के उसे प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा।

3– उपधारा (2) के अधीन पटवारी से पज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार उसे हिवित रीति में ग्राम में प्रकाशित करवायेगा और उसकी लिखित प्रज्ञापना उन समस्त व्यक्तियों को, जो कि उसे नामांरतण में हितबद्ध प्रतीत होते हों, तथा साथ ही ऐसे अन्य व्यक्तियों एवे प्राधिकारियों को भी देगा जो कि विहित किये जाये।

4– तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात, क्षेत्र–पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा । "

यदि किसी अवयस्क व्यक्ति का नाम पहले से ही प्रविष्ट हो तब उसका संरक्षक किसको लिखा जाये, यह विवाद इस कार्यवाही की सीमा में नहीं आता। जो व्यक्ति संरक्षक के रूप में प्रविष्ट है उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा जाये या नहीं, इस विवाद का निपटारा राजस्व न्यायालय इस धारा के अधीन नहीं कर सकते । यदि कोई सक्षम सिविल न्यायालय ऐसा विनिश्चय कर दे तब उसके अनुसार शुद्धि अवश्य कर दी जायेगी ।

1. सुखलाल विरूद्ध नारायणप्रसाद, 1987 जे.एल.जे. 380, 1986 रा.नि. 342
2. नीलकंठ वि0 खेमराज, 1980 रा.नि. 285
3. सोहागबाई वि0 केजाबाई, 1989 रा.नि. 375
4. पूरनसिंह वि0 शत्रुघनसिंह, 1992 रा.नि. 92

उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू होते है ।

6/ उपरोक्त प्रावधान के परिपालन में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2008 न्यायसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर